राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 226 वीं बैठक दिनांक 24.04.2015 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री अशोक जैन	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री आनन्द कुमार	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4.	श्री प्रवीण जैन	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य–सचिव

श्री सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, वित्त–प्रथम (व्यय) द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी, जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।

<u>बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे</u> :–

1.	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियन्ता–प्रथम
2.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
3.	श्री सूर्य प्रकाश पुरोहित	निदेशक विधि
4.	श्री डी॰सी॰ चौधरी	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
5.	श्री राधे प्रताप सिंह	उप सचिव
6.	श्री अनिल कुमार कौशिक	सम्पदा प्रबन्धक (भूमि)
7.	श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम
8.	श्री एस॰आर॰ जोशी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
9.	श्री डी॰के॰ माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय
10.	श्री अरुण जोशी	सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

–:: कार्यवाही विवरण ::–

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
226.1	दिनांक 28.01.2015 को सम्पन्न हुई मण्डल की 225वीं बैठक (बजट) के निर्णयों की पुष्टि।	मण्डल की 225वीं बैठक (बजट) के निर्णयों की पुष्टि की गयी।	Secretary
226.2	दिनांक 28.01.2015 को सम्पन्न हुई मण्डल की 225वीं बैठक (बजट) के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	मण्डल की 225वीं बैठक (बजट) के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

226.3	दिनांक 04.12.2014 को सम्पन्न हुई मण्डल की 224वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	मण्डल की 224वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गयी।	Secretary
226.4	दिनांक 04.12.2014 को सम्पन्न हुई मण्डल की 224वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	मण्डल की 224वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
226.5	कार्य समिति की बैठक दिनांक 15.12.14 एवं 13.01.15 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।	प्रस्तावानुसार निर्णयों की पुष्टि की गयी।	CE (HQ)
226.6	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2013–14 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
226.7	बाबा मोहनराम एन्कलेव भिवाडी में मध्यम आय वर्ग–I (जी+3) 88 फ्लेट्स के निर्माण कार्य हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	ACE-I
226.8	आवासन मण्डल में वरिष्ठ लेखाधिकारी के 02 पद (एक प्रतिनियुक्ति एवं एक पदोन्नति का पद) को उप वित्तीय सलाहकार (Dy. FA) के पद पर क्रमोन्नत किये जाने बाबत्।	प्रतिनियुक्ति के उप वित्तीय सलाहकार के पद, जो कि वरिष्ठ लेखाधिकारी पद को क्रमोन्नत किया गया है, को मण्डल में अंगीकार किया गया। साथ ही मण्डल के पदोन्नति से भरे जाने वाले वरिष्ठ लेखाधिकारी के एक पद को भी प्रस्तावानुसार उप वित्तीय सलाहकार के पद में क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसकी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।	Secretary
226.9	मण्डल बैठक से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी कुडी भगतासनी आवासीय योजना, पाली रोड, जोधपुर में विभिन्न आय वर्ग (जी+3) के 3104 फ्लेट्स हेतु बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।	ACE-I

226.10	Ex-post facto approval of Bid for Const. of EWS-72 Nos. (G+2) Multistoried Flats at Zone-I, New RHB Scheme, DTO Office, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।	CE-HQ
226.11	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखे (अन्तिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
226.12	चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर की उद्यान अपार्टमेन्ट योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग (अ) (जी+3) 112 फ्लेटो के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1219.51 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	ACE-II
226.13	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 51/C-1/18, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का आवंटन निरस्तीकरण व जमा राशि जब्ती की सहगति बाबत्।	प्रस्तावानुसार सहगति प्रदान की गयी।	CRO
226.14	अरावली विहार, तृतीय चरण भिवाडी में जल वितरण योजना हेतु मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	ACE-I
226.15	वी.टी. रोड, मानसरोवर, आवासीय योजना, जयपुर में प्रस्तावित कन्वेंशन सेन्टर (पी.पी.पी. आधार पर) की डीपीआर तैयार कराने के लिये कन्सलटेन्सी का कार्य हेतु रुपये 29.00 लाख की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।	ACE-III
226.16	मण्डल के अधिकारियों द्वारा जारी चैकों की राशि की सीमा में बढोत्तरी करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार बढोत्तरी किये जाने का निर्णय लिया गया।	FA
226.17	कार्य समिति की बैठक संख्या 06/2014–15 दिनांक 12.03.15 के निर्णयों की पुष्टि बाबत्।	प्रस्तावानुसार निर्णयों की पुष्टि की गयी।	CE (HQ)

226.18	मालवीय नगर योजना, जयपुर के आवास संख्या–1/एफ/34 को अतिरिक्त भूमि आवंटित करने एवं आवास संख्या 1/एफ/39, 1/एफ/36 में अवैध निर्माण के संबंध में।	प्रकरणान्तर्गत विस्तृत चर्चा की जाकर निर्णय लिया गया कि मालवीय नगर योजना, नगर निगम को हस्तगत की जा चुकी है एवं अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी अधिकार भी निगम के क्षेत्राधिकार में विहित होने के फलस्वरूप सम्पूर्ण पत्रावली की छाया प्रति नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जावे। साथ ही सम्बन्धितों को उक्तानुसार अवगत करा दिया जावे।	DHC JC-III
226.19	आवासन मण्डल में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि के 5.00 लाख रुपये तक राशि जमा करवाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्दिष्ट किया गया कि भविष्य में मण्डल द्वारा छोटे शहरों में प्रस्तावित योजनाओं में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का माध्यम नहीं रखा जावे। जिससे आम आवेदक पंजीकरण करवा सकें।	CEM
226.20	जयपुर की जवाहर नगर योजना में फ्लेट संख्या सी–82 के संबंध में मांग राशि जमा कराने हेतु समय वृद्धि की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	FA
226.21	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 में पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार वर्ष 2015–16 में सहायक लेखाधिकारी से लेखाधिकारी के दो पदों एवं लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी के एक पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में 1/3 अवधि की छूट देने का निर्णय लिया गया।	Secretary
226.22	मण्डल की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास हेतु भूमि अवाप्त की जाकर, खातेदारों को अवार्ड अनुसार 15/25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने बाबत भूमि समझौता समिति गठन एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु निर्णय लिये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रस्तावित भूमि समझौता समिति में निम्नानुसार संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी :– संबंधित मुख्य अभियन्ता — अध्यक्ष संबंधित अति.मुख्य अभियन्ता — सदस्य भूमि अवाप्ति अधिकारी — सदस्य संबंधित आवासीय अभियन्ता — सदस्य संबंधित लेखाधिकारी — सदस्य संबंधित उप आवासन आयुक्त — सदस्य–सचिव	EM(Land)

84

		प्रस्तावानुरूप पट्टा जारी करने की कार्यवाही संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा वृत्त स्तर पर ही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	
227.23	अजय मार्ग में आ रहे अतिक्रमियों को हल्दी घाटी मार्ग के अनुसार भूखण्ड आवंटन बाबत्।	प्रकरणान्तर्गत गहन चर्चा की जाकर निदेशक (विधि) द्वारा पत्रावली पर दी गयी राय के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। साथ ही न्यायालय में विचाराधीन लम्बित वाद का फैसला होने पर विधिक परीक्षण कर तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	EM(Land)
226.24	खोडा गणेश योजना, किशनगढ में मध्यम आय वर्ग–अ के 125 आवासों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों का इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि आवासों की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि जिन अधिकारियों/अभियन्ताओं के कार्यकाल में हुई, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जावे तथा उनके विरूद्ध विभागीय जॉच प्रारम्भ की जावे। साथ ही उक्त अधिकारियों/ अभियन्ताओं द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के पारित बजट से अधिक व्यय के सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण मांगा जावें। विचार बिन्दु संख्या 226.24 से 226.28 तक पर यह निर्णय लागू होगा।	ACE-III
226.25	खोडा गणेश योजना, किशनगढ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 500 आवासों के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्ताव बिन्दु संख्या 226.24 के अनुसार।	ACE-III
226.26	खोडा गणेश योजना, किशनगढ में मध्यम आय वर्ग–ब के 75 आवासों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्ताव बिन्दु संख्या 226.24 के अनुसार।	ACE-III

226.27	खोडा गणेश योजना, किशनगढ में उच्च आय वर्ग के 50 आवासों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्ताव बिन्दु संख्या 226.24 के अनुसार।	ACE-III
226.28	खोडा गणेश योजना, किशनगढ में अल्प आय वर्ग के 250 आवासों के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्ताव बिन्दु संख्या 226.24 के अनुसार।	ACE-III

अन्य बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

226.29	निविदा स्वीकृति, अस्वीकृति एवं बातचीत के (Negotiations) बाबत मण्डल अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गयी शक्तियों की सीमितता को वापिस लेना।	प्रस्ताव पर विचार किया जाकर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त शक्तियॉं निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गयाः— **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की शक्तियॉं :—** बोर्ड 30.00 करोड अध्यक्ष 15.00 करोड आवासन आयुक्त 7.50 करोड **निविदा स्वीकृति की शक्तियॉं :—** बोर्ड 30.00 करोड कार्य समिति 20.00 करोड मुख्य अभियन्ता 10.00 करोड अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता 5.00 करोड उप आवासन आयुक्त 1.00 करोड आवासीय अभियन्ता 0.50 करोड	CE (HQ)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शंकर लाल कुमावत)
सचिव